राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 179 / 2024

कपील वर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये संयुक्त शासन सचिव, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, निदेशालय, उदयपुर, राजस्थान।
3. खनिज अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, निदेशालय, भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.03.2024
आदेश की दिनांक : 22.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हिमांषु चौधरी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता (Standing Counsel)

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 को चुनौती दी है। उक्त आलोच्य आदेष द्वारा अपीलार्थी जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है, का स्थानान्तरण ख. अ., भरतपुर से निदेशालय किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर खनिज अभियन्ता कार्यालय भरतपुर में नरेन्द्र कुमार गुर्जर को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया था। परन्तु उनका पदस्थान दिनांक 11.03.2024 को निरस्त कर दिया गया। ऐसे में अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी को पदस्थापित नहीं किया गया है। अपीलार्थी के स्थानांतरण के लिए प्रशासनिक आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। अपीलार्थी का स्थानांतरण इस आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी का तर्क है कि स्थानांतरण वर्तमान स्थान से करीब 600 किमी दूर किया गया है। अपीलार्थी का परिवार अपीलार्थी के उपर पूर्णतः निर्भर है। जिसमें अपीलार्थी का स्थानांतरण भरतपुर से उदयपुर मुख्यालय किया जाना उचित नहीं है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार विमर्श किया।

4. अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को पदस्थापित किया था उसका पदस्थापन निरस्त किए जाने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी के संबंध में प्रशासनिक आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। अपीलार्थी की सेवाएं यदि प्रत्यर्थी विभाग अन्य स्थान पर लेना चाहता है तो इस प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जबकि उक्त आदेश अविधिपूर्ण तरीके से अथवा दुर्भावनापूर्ण पारित किया गया हो। वर्तमान स्थानांतरण आदेष में किसी तरह की विधि विरूद्धता प्रकट नहीं होती है।
5. प्रकरण में यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी भरतपुर में दिनांक 31.07.2018 से कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को सम्मुचित समय तक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित रखा गया है। स्थानांतरण आदेश में कोई दुर्भावना होना भी प्रकट नहीं होता है।
6. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं पाते है।
7. अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)